न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्या:331/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00258)

1. बिड़दूराम पुत्र सूरजाराम जाति माली, निवासी चक जोधपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झूनू (राज.)।

——अपीलान्ट

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र पालाराम, जाति माली, निवासी चक जोधपुरा, ढाणी सुन्दरी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झूनू राज.।
2. तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झूनू राज.।

---मुख्य रेस्पोडेन्ट्स

3. जगदीश प्रसाद पुत्र सूरजाराम।
4. फूलाराम पुत्र गीगाराम, समस्त जाति माली, निवासी चक जोधपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झूनू राज.।

---तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 01.03.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू के आदेश दिनांक 06.08.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक आवेदन तहसीलदार उदयपुरवाटी को पक्षकार बनाते हुये ग्राम चक जोधपुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 296 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 307 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर का खातेदार बताते हुये सीमाज्ञान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और उसमें निवेदन किया कि दिनांक 05.05.2013 को तहसीलदार उदयपुरवाटी की आज्ञा दिनांक 12.03.2013 की पालना में पटवारी हल्का ने सीमाज्ञान कराकर मौका फर्द तैयार की गई थी। उस आधार पर प्रार्थी पत्थरगढ़ी कराना चाहता है, इस आधार पर दिनांक 10.02.2014 को उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने पत्थरगढ़ी करने के आदेश प्रदान कर दिये।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी की आज्ञा दिनांक 10.02.2014 के विरूद्ध तरतीबी रेस्पोडेन्ट जगदीश पुत्र सूरजाराम ने न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के यहॉ अपील की और अपील में निवेदन किया कि मूलचन्द का पिता पालाराम व अपीलान्ट जगदीश का पिता सूरजाराम भाई थे और 1/2 हिस्से के हिसाब से काबिज थे, दौराने सैटलमेन्ट रेस्पोडेनट ने गलत इन्द्राज कर लिया जबकि खसरा नम्बर 299 मौके पर 0.55 हैक्टयर का ही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 299 का रकबा 0.65 हैक्टयर दर्शा रखा है अर्थात

P.T.O.

0.10 एयर भूमि ज्यादा दर्शा रखी है जबकि उक्त 0.10 एयर रकबे पर सूरजाराम के पुत्र बिड़धूराम व जगदीश व अन्य भाई काबिज है और खसरा नम्बर 297 में मौके पर उक्त 0.10 एयर रकबा मौजूद है जिस पर मकान आदि बने हुये है। उन्होन आगे कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी को प्रकरण रिमाण्ड किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिमाण्ड आदेशों की बिना पालना किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.08.2018 पारित किया गया है जो विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के यहां अपीलान्ट ने सभी तथ्य दर्ज किये थे और पत्थरगढ़ी की आड़ में आराजी खसरा नम्बर 297 जिसमें कि अपीलान्ट के व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के मकान व बाड़े बने हुये है और मुर्गी फार्म है, उसको 299 का रकबा बताकर पत्थरगढ़ी की आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हड़प करना चाहता है जिसका उसे कानूनी कोई अधिकार नहीं है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को नजरअंदाज कर तथा न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2016 की अनदेखी कर राजस्व मण्डल के स्थगन की अनदेखी कर 1.19 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी करने का जो आदेश दिया है, वह सरासर अवैंधानिक है जिसे निरस्त किया जाना कानूनन उचित है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट ने यह स्पष्ट किया था कि चक जोधपुरा, तहसील उदयपुरवाटी में द्वितीय सैटलमेंट के पहले पुराने नम्बर 755, 757, 758, 759, 761 व 762 कुल किता 6 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि थी जिसकी वर्तमान नाप 4.36 हैक्टेयर होती है, उसमें मांगूराम, रामचन्द्र, श्योराम, हरलाल पुत्र दुरसा हिस्सा 1/4, फूला पुत्र गीगा हिस्सा 1/4, मूलचन्द पुत्र पालाराम हिस्सा 1/4, सूरजा पुत्र साधू हिस्सा 1/4 दर्ज रहे लेकिन दौराने द्वितीय सैटलमेन्ट सन् 1980 में गलत रकबें दर्ज कर किये और हिस्सों के अनुसार रेस्पोडेन्ट मूलचन्द के हिस्से में 1.09 हैक्टेयर भूमि आती है जबकि उसके खाते में 1.19 हैक्टेयर भूमि गलती से दर्ज कर दी और 0.10 एयर जमीन ज्यादा लगा दी जबकि खसरा नम्बर 299 का रकबा मौके पर 0.55 हैक्टेयर ही है लेकिन गलती से जमाबन्दी में 0.65 हैक्टेयर दर्ज कर रखा है और जिसका दावा गीगा पुत्र फूलाराम का उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के यहां चल रहा है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.08.2018 पारित किया गया है जो विधि विधान के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने जो आदेश दिया है वह विराधाभासी भी है क्योंकि एकतरफ तो खसरा नम्बर 296, 299, 307 कुल किता 3 रकबा 1.19 हैक्टेयर

का उभयपक्षों की उपस्थिति मे पुनः नाप जोखकर कब्जा काश्त के अनुसार प्रार्थीयों की भूमियों का सीमा पर नियमानुसार सीमा चिन्ह यानि पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये है किन्तु वास्तविकता यह है कि मौके पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा 1.09 हैक्टेयर पर ही है जबकि आदेश में 1.19 हैक्टेयर की पत्थरगढ़ी के आदेश दिये है जो विरोधाभासी है जबकि न्यायालय श्रीमान् ने अपने रिमाण्ड अदेश में निर्देशित किया था कि साक्ष्य सबूत दस्तावेजों के आधार पर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी पहलू पर गौर न कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में सरासर गलती की है। उन्होने आगे कथन किया है कि पत्थरगढ़ी भूमि व खसरे की केवल सीमा चिन्ह के लिए होती है किसी के कब्जे या उस पर बने मकानात आदि से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा पूर्व में भी उपखण्ड अधिकारी ने बिड़ूराम बनाम मूलचन्द की जो अपील राजस्व अपील अधिकारी झुन्झुनू के यहां चल रही थी उसके निर्णय तक पत्थरगढ़ी का आदेश स्थगित किया था, राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट ने राजस्व मण्डल में अपील कर रखी है और जिसमें दिनांक 20.12.2017 को राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 23.11.2017 को स्थगित करते हुये राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति रखे जाने के आदेश पारित किये थे, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी पहलू को भी नजरअंदाज कर निर्णय देने में सरासर गलती की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू दिनांक 06.06.2018 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों का अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि ग्राम चक जोधपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 296, 299, एवं 307 कुल किता 3 कुल रकबा 1.19 हैक्टयर भूमि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की आराजीयात है जिसका सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाने का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कानूनन अधिकार प्रदत्त है तथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 05.05.2013 को करवाया चुका है। उन्होने आगे कथन किया है कि पूर्व में न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2018 पारित किया गया है जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किय तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार उदयपुरवाटी की रिपोर्ट क्रमांक 167६ दिनांक 07.09.016 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 196 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.65 हैक्टयर, खसरा नम्बर 307 रकबा 0.36 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.19 की खातेदारी मूलचन्द पुत्र पालाराम के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं मौके पर उक्त खसरा नम्बरान पर कब्जा मूलचन्द पुत्र पालाराम का ही है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त आराजी का रेस्पेडेन्ट संख्या 1

रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने उन्हे अपनी आराजी का सीमाज्ञान, पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकार प्रदत्त है तथा अधीनस्थ ने भी अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त अराजी की उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः नाप जोख करवाया जाकर कब्जा काश्त के अनुसार भूमियों की सीमा पर नियमानुसार सीमाचिन्ह, पत्थरगढी करवाने हेतु ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2018 पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2018 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0समित शर्मा)
सभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सभागीय आयुक्त,
जयपुर।